संख्या:-198/2023/आई449617/295आ0/23-5-23-01(भवन)/2022

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2023**

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55(पूंजीलेखा) के अन्तर्गत महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद भवन की मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य(सिविल/विद्युत) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, बजट 'ख' वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-558बीजीबी/112बीजीबी/महाधिवक्ता/अना0/2023-24, दिनांक 22.08.2023 एवं पत्र सं0-541बीजीबी/112बीजीबी/महाधिवक्ता/वि0/यॉ0/अना0/2023-24, दिनांक 22.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त भवन के अनुरक्षण हेतु गत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के लेखाशीर्षक 2059-01-053-0302-00-29 "महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नवीन भवन का अनुरक्षण" के अन्तर्गत निम्नवत धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन लागत	प्रथम किश्त में निर्गत धनराशि	द्वितीय किश्त में निर्गत धनराशि
1	2	3	4	5		6
				(धनराशि लाख रू0 में)		
1	22/2022/64आ0/23-5-22-01 (भवन)/2022, दि0 30.06.2022 एवं 112/2023/228आ0/23-5-23-01 (भवन)/2022, दि0 22.06.2023	प्रयागराज	महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के भवन का जीर्णोद्धार कार्य।	219.52	55.00	82.00
2	तदैव	प्रयागराज	Repair and Maintenance of Various item installed at Maha Adhivakta Building Prayagraj.	240.65	60.00	90.00
			कुल योग :-	**460.17**	**115.00**	**172.00**

3- प्रश्नगत भवन में दिनांक 17.07.2022 को हुयी अग्नि दुर्घटना के उपरान्त भवन में हुयी क्षति का मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज से तकनीकी आंकलन कराये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश सं0-97/2022/001-1327-23-5-22-01भवन-2022, दिनांक 19.12.2022 द्वारा रू0 84.96 लाख की शुल्क/फीस की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी। मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज के पत्र दिनांक 03.05.2023 द्वारा उक्त भवन की अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति की तकनीकी जांच रिपोर्ट दिनांक 13.04.2023 को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, प्रयागराज को उपलब्ध करायी गयी।

4- उक्त के क्रम में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, बजट 'ख' वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-558बीजीबी/112बीजीबी/महाधिवक्ता/अना0/2023-24, दिनांक 22.08.2023 द्वारा सिविल कार्यों हेतु **रू0 806.28 लाख** एवं पत्रांक-

http://shasanadesh.up.nic.in

541बीजीबी/112बीजीबी/महाधिवक्ता/वि/यॉ/अना0/2023-24,दि0-22.08.2023 द्वारा विद्युत सम्बन्धी कार्यों हेतु **रू0 615.75 लाख** का पुनरीक्षित आगणन का प्रस्ताव मुख्यालय, लो0नि0वि0 की विभागीय मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 21.08.2023 से संस्तुत/अनुमोदित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराया गया।

5- मुख्यालय, लो0नि0वि0 के उक्त पुनरीक्षित प्रस्ताव दिनांक 22.08.2023 को शासन में विभाग स्तर पर गठित विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 04.09.2023 में महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के भवन में हुई अग्नि दुर्घटना के उपरान्त क्षतिग्रस्त 6वें, 7वें, 8वें, 9वें व भवन के अन्य भागों के जीर्णोद्धार हेतु कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निम्नवत पुनरीक्षण किये जाने की संस्तुति की गयी है :-

सिविल कार्य	रू0 806.26 लाख
विद्युत सम्बन्धी कार्य	रू0 615.75 लाख
योग :-	रू0 1422.01 लाख

6- अतएव प्रमुख अभियन्ता, भवन वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के उक्त प्रस्ताव दिनांक 22.08.2023(02 पत्र) पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित प्रायोजना कार्यों हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एवं निम्नांकित विवरणानुसार श्री राज्यपाल पुनरीक्षित कुल लागत रू0 1422.01 लाख (सिविल कार्य हेतु रू0 806.26 लाख एवं विद्युत कार्य हेतु रू0 615.75 लाख) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	**मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक व दिनांक**	**कार्य का नाम**	**परियोजना की मूल स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)**	**पुनरीक्षित धनराशि (रू0 लाख में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	558बीजीबी/112बीजीबी/महाधिवक्ता/अना0/2023-24, दिनांक 22.08.2023	महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के भवन का जीर्णोद्धार कार्य। **(सिविल कार्य)**	219.52	806.26
2	541बीजीबी/112बीजीबी/महाधिवक्ता/वि0/यॉ0/अना0/2023-24, दिनांक 22.08.2023	Repair and Maintenance of Various item installed at Maha Adhivakta Building Prayagraj. **(विद्युत कार्य)**	240.65	615.75
योग :- (रू0 चौदह करोड़ बाईस लाख एक हजार मात्र)			**460.17**	**1422.01**

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

2- लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

4- अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगा। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

5- विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 04.09.2023 द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- प्रस्तावानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत में लेबर सेस उपकर की धनराशि श्रम विभाग को वास्तविक रूप में भुगतान किया जायेगा।

7- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

8- कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी।

9- पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

10- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

11- प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति(डुपलीकेशी) को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

12- प्रश्नगत प्रायोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं यथा संशोधित सुसंगत शासनादेश दिनांक 19.09.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

15- उक्त व्यय का वहन आय-व्ययक के सुसंगत मद के अन्तर्गत किया जायेगा तथा प्रायोजना का भविष्य में पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 2059- लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-053-रखरखाव तथा मरम्मत-0302-महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नवीन भवन का अनुरक्षण-00-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-यू0ओ0-ई-8-947/दस-2023-24, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:-198/2023/आई449617/295आ0(1)/23-5-2023तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, मा0 महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
6- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
11- मुख्य अभियन्ता(भवन)(वि0/यॉं0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
13- अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
15- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉं0 खण्ड, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
16- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in